



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22112022-240452  
CG-DL-E-22112022-240452

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 21, 2022/कार्तिक 30, 1944

No. 76]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 21, 2022/KARTIKA 30, 1944

भारत निर्वाचन आयोग

निदेश

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2022

आ.अ. 76(अ).—यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह प्रावधान किया गया है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान और मतों का अभिलेखन ऐसी रीति, जैसी कि निर्धारित की जाए, से ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे; और

2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथाअनुमोदित डिजाइन वाले ड्राप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ भी जोड़ा जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश दिया जाए; और

3. यतः, निर्वाचन आयोग ने दिनांक 05.11.2022 एवं 08.11.2022 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./83/2022 और ईसीआई/प्रे.नो./87/2022 के तहत घोषित उत्तर प्रदेश के 21- मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उड़ीसा के 01- पदमपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान के 21 - सरदारशहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार के 93 - कुढ़नी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के 80 - भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के 37- रामपुर एवं 15-खतौली विधान सभा क्षेत्र, और आयोग के दिनांक 10.11.2022 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./88/2022 के द्वारा उत्तर प्रदेश के 37-रामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप-निर्वाचन के

संशोधित कार्यक्रम, के चालू उप निर्वाचनों के लिए उपयुक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थितियों पर विचार किया है, और निर्वाचन आयोग संतुष्ट है कि उक्त सभी संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करवाने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तथा पेपर ट्रेल [वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट)] मुद्रित करने के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं, मतदान कार्मिक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए पूर्ण प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ई वी एम) एवं वीवीपैट प्रिंटर्स की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं।

4. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा 10 और 11 नवंबर, 2022 को अधिसूचित उत्तर प्रदेश के 21- मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उड़ीसा के 01 – पदमपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान के 21 - सरदारशहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार के 93 - कुहनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के 80 – भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के 37 – रामपुर एवं 15 - खतौली विधान सभा क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जहां निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन तथा इस विषय में आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुपूरक अनुदेशों के अंतर्गत विहित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे।

5. निर्वाचन आयोग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट प्रिंटर्स, जिन्हें उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में मत डालने और रिकॉर्ड करने के लिए उपयुक्त मशीनों से जोड़ा जाएगा, के डिजाइन को भी एतद्वारा अनुमोदित करता है।

[फा. सं. 576/3/ईवीएम/2022/एसडीआर/खण्ड-II]

आदेश से,

अश्वनी कुमार मोहल, सचिव

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### DIRECTION

New Delhi, the 21st November, 2022

**O.N. 76(E).**—Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by voting machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify;

2. Whereas, as per the proviso to Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct;

3. Whereas, the Election Commission has considered the circumstances in **bye-elections in 21-Mainpuri Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 01-Padampur Assembly Constituency of Odisha, 21-Sardarshahar Assembly Constituency of Rajasthan, 93-Kurhani Assembly Constituency of Bihar, 80-Bhanupratappur(ST) Assembly Constituency of Chhattisgarh & 37-Rampur and 15-Khatauli Assembly Constituencies of Uttar Pradesh announced vide the Election Commission's Press Notes No. ECI/PN/83/2022 dated 05-11-2022, No. ECI/PN/87/2022 dated 08-11-2022 and Commission's Press Note No. ECI/PN/88/2022 dated 10-11-2022 revising the schedule for Bye-election in 37-Rampur AC of Uttar Pradesh**, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines (EVMs) and Printers for printing Paper Trail [Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT)] are available for taking the poll in the above mentioned Parliamentary Constituency and Assembly Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of EVMs and 'VVPAT Printers' and the electors are also fully conversant with the operation of the EVMs and the VVPAT Printers;

4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, and Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby **specifies 21-Mainpuri Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 01-Padampur Assembly Constituency of Odisha, 21-Sardarshahar Assembly Constituency of Rajasthan, 93-Kurhani Assembly Constituency of Bihar, 80-Bhanupratappur(ST) Assembly Constituency of Chhattisgarh & 37-Rampur and 15-Khatauli Assembly Constituencies of Uttar Pradesh, notified on 10<sup>th</sup> and 11<sup>th</sup> November, 2022** as the constituencies in which the

votes, shall be given and recorded by means of EVMs and VVPAT printers in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Election Commission from time to time on the subject.

5. The Election Commission also hereby approves the design of EVMs and VVPAT Printers as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said machines, to be used for the giving and recording of votes in all the constituencies.

[F. No. 576/3/EVM/2022/SDR-Vol.II]

By Order,

ASHWANI KUMAR MOHAL, Secy.